

रु.50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करावें

अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के नियम-5 के अनुसार मृतक कार्मिक के किसी आश्रित के पूर्व से
नियोजित नहीं होने का प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती जाति
..... निवासी शपथपूर्वक
बयान करता हूँ कि:-

मृतक कर्मचारी स्व. श्री/श्रीमती/सुश्री पदनाम.....,
जिनका दिनांक DD.MM.YYYY (Inwords) को निधन हो गया है, के परिवार का कोई
भी सदस्य केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन,
निगम जो पूर्णतया या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण में हो, के
अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय एवं आज दिनांक तक नियमित आधार पर
पहले से नियोजित नहीं है।

दिनांक

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

तस्दीक

मैं उपरोक्त शपथकर्ता शपथ पूर्वक तस्दीक करता/करती हूँ कि उपरोक्त शपथ
पत्र में दर्ज वाक्यात मेरी निजी जानकारी के अनुसार सही व सत्य है, इसमें कोई भी तथ्य
छुपाया नहीं गया है, ईश्वर सत्य बोलने में मेरी मदद करे।

तस्दीककर्ता के हस्ताक्षर